न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील कुमार I, (R.A.S)

राजस्व वाद संख्या :– 110/2024 GCMS 2024/288

वादी :–

1. राजेन्द्र चौधरी पुत्र श्री झूंमाराम जाति जाट निवासी–देऊवा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. भागचन्द दलाल पुत्र मोहन लाल जाति बावरी
2. शोभादेवी पत्नी भागचन्द जाति बावरी
   प्रतिवादी संख्या 1 व 2 निवासीयान–ग्राम चितावा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।
3. नायब तहसीलदार उप तहसील चितावा
4. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी (मुनिकारी)

<u>दावा :– कब्जा दिलाने व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से
श्री भवानी सिंह प्रतिवादी सं. 01,02 की ओर से।

–:निर्णय :–

दिनांक :– 13/06/2025

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि ग्राम चितावा तहसील कुचामन सिटी कि सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 681 रकबा 0.21 हैक्टर स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 681 रकबा 0.21 हैक्टर तत्कालिन काबिज खातेदार मांगीदेवी पत्नी नारायण, अमरचन्द, चर्तुभुज, श्यामलाल उर्फ श्यामसिंह तंवर, हेमराज उर्फ हेमसिंह पुत्रान नारायण, ममता, सरोज पुत्रीया नारायण जाति राणा निवासी–ग्राम चितावा के नाम से कब्जा व खातेदारी अधिकारों की चली आ रही थी उन्होंनें विक्रय पत्र संख्या 202201471002789 दिनांक 07/03/2022 के द्वारा विक्रय पत्र द्वारा मुझ वादी को विक्रय कर दिया व उक्त विक्रय पत्र के द्वारा मेने जरिये बाजार भाव में खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। उपरोक्त दौरान किसी प्रकार का कोई विवाद नही है उक्त भूमि को जरिये विक्रय कर जिसका नामान्तरण मुझ वादी के नाम दर्ज होकर कब्जा प्राप्त कर लिया था। उपरोक्त भूमि पर मेरे द्वारा वंहा नही रहने पर प्रतिवादीगणों द्वारा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया व जबरन वहां [illegible] करने लगे जिसकी रिपोर्ट तहसीलदारजी व पुलिसथाना चितावा में उसकी [illegible] गयी थी इस प्रकार जबरन कब्जा कर लिया जो कि [illegible] खसरा नम्बर 681 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादीगणों से कब्जा छुड़वाकर अतिक्रमण मुक्त करवाकर मुझ वादी को दिलाया जावे। उपरोक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जबरन कब्जा करके

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:42:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

निर्माण कार्य इत्यिादी करने पर आमदा है अगर वह ऐसा करने में सफल हो गये तो मुझ वादी को बेजा कुठाराघात होगा व अनावश्यक मुकदमा बाजी बढकर पेशो की बर्बादी होगी जिसकी क्षर्तिपूर्ति रूपयों इत्यिादी में नही की जा सकती है इसलिए प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अतिआवश्यक है। कि उक्त भूमि पर वादी के हक–हिस्से कि भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे जिसका वादी हकदार है इसलिए यह कब्जा दिलाने बाबत यह वाद पत्र लाया जाना आवश्यक हुआ है जिसका वादी अधिकारी है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 किसी प्रकार जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य कच्चा परस टीन सेट चबुतरा इत्यिादी नही करे इस प्रकार वादी अपने हितो कि सुरक्षार्थ यह स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार है। बिनाय दावा हाल ही में प्रतिवादीगणों द्वारा जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करने की धमकी देने पर व कब्जा खाली नही करने की धमकी देने पर आज बामुकाम ग्राम चितावा तहसील कुचामन सिटी में पैदा हुआ है।

<u>इस्तदुआ वादीगण :–</u>

ग्राम चितावा तहसील कुचामन सिटी किसी सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 681 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि में वादी कि खातेदारी अधिकारों की भूमि का कब्जा प्रतिवादीग संख्या 1 व 2 से मुक्त करवाकर दिलाया जाने की डिक्री बहक वादी विरूद प्रतिवादी सादीर फरमाई जावे। ग्राम चितावा तहसील कुचामन सिटी कि सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 681 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 किसी प्रकार का निर्माण, कच्चा परस व निर्माण दीन रोड, चबुतरा इत्यिादी नही बनाये निर्माण कार्य नही करे इस मौके कि यथा स्थिती बनाए रखे इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जरी की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 03, 04 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 01, 02 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब अवसर बंद किया गया।

वकील वादी ने दस्तावेजी साक्ष्यों में ग्राम चितावा के नया खाता संख्या 269 की नकल जमाबंदी संवत् 2027–2077, आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की है। मौखिक साक्ष्यों में वादी राजेन्द्र चौधर मदन लाल, सरेश कुमार का शपथ पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 18 नियम 4 सीपीसी किये गये हैं।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। वादी ने वादी कि खातेदारी अधिकारों की भूमि का कब्जा प्रतिवादीग संख्या 1 व 2 से कब्जा मुक्त करवाकर दिलाया जाने की डिक्री बहक वादी विरूद प्रतिवादी सादीर फरमाई जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी की ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 681 रकबा 0.21 हैक्टयर भूमि रेकर्ड दर्ज है। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है। जिससे वादी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है और अपनी खातेदारी भूमि के अधिकारो से [illegible]ना पड़ रहा है। जिसकी पुष्टि उपलब्ध रेकार्ड एवं शपथ पत्र इत्यादि से होती है [illegible] वादी काबिल डिक्री योग्य पाया गया, जो निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:42:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (मुहर) कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

–: आदेश :–

वाद वादी डिक्री किया जाकर तहसीलदार कुचामन सिटी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 681 रकबा 0.21 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अनाधिकृत कब्जे को हटवाकर वादी को कब्जा सुपुर्द करावे। ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 681 रकबा 0.21 हैक्टयर में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पालना हेतु तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार I.RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:42:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील कुमार I, (RAS)
राजस्व वाद संख्या :– 110/2024 GCMS 2024/208

वादी :–

1. राजेन्द्र चौधरी पुत्र श्री झूंथाराम जाति जाट निवासी–देऊसर तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. भागचन्द दत्तक पुत्र सोहन लाल जाति बावरी
2. शोभादेवी पत्नी भागचन्द जाति बावरी
   प्रतिवादी संख्या 1 व 2 निवासीयान–ग्राम चितावा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।
3. नायब तहसीलदार उप तहसील चितावा
4. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी (भूमिधारी)

दावा :– कब्जा दिलाने व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी....... .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री भवानी सिंह मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाकर तहसीलदार कुचामन सिटी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 681 रकबा 0.21 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अनाधिकृत कब्जे को हटवाकर वादी को कब्जा सुपुर्द करावे। ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 681 रकबा 0.21 हैक्टयर में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पालना हेतु तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13 माह 06 सन् 2025 को जारी की गई।

(मुहर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:42:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलय	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेंन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी ... (डीडवाना-कुचामन)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:42:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner